



वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 19.03.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर "अमर उजाला, आज, हिन्दुस्तान, ज्ञानशिखा टाइम्स, परफेक्ट मिशन," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला—दि0 19.03.2025

वीडीए ने पांच बीघे की अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई

वाराणसी। वीडिए की ओर से मंगलवार को अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कराया गया। सारनाथ वार्ड के स्वर्वेद मंदिर के पीछे मुडली में बबलू कुमार और शाश्वत कुमार की ओर से 5 बीघे में अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी। इन्हें पूर्व में नोटिस दिया गया था। प्रवर्तन टीम ने पुलिस बल के सहयोग से प्लॉटिंग ध्वस्त कराई गई। ब्यूरो

आज—दि0 19.03.2025

प्लॉटिंग पर चली जेसीबी


विप्रा उपाध्यक्ष के निर्देश पर मंगलवार को सारनाथ मौजा-मुडली में पांच बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। शिकायत के आधार पर मौके पर पहुंचे जोनल अधिकारी श्रीप्रकाश, अवर अभियंता विनोद कुमार, क्षेत्रीय सुपरवाइजर और संबंधित थाने की पुलिस की देखरेख में प्रवर्तन कर्मचारियों ने जेसीबी के माध्यम से प्लॉटिंग पर हुये निर्माण को ध्वस्त कर दिया।

हिन्दुस्तान—दि0 19.03.2025

अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की गई

वाराणसी। वीडिए ने सारनाथ वार्ड के मुडली में लगभग 5 बीघा में अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कर दी। इस मौके पर जोनल अधिकारी श्रीप्रकाश, जेई विनोद कुमार रहे।





वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

ज्ञानशिखा टाइम्स-दि० 19.03.2025

वाराणसी विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने की कार्यवाही

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-2 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध प्लांटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी। (वार्ड-सारनाथ के अन्तर्गत बब्लू कुमार, शाश्वत कुमार द्वारा मौजा-मुडली (सर्ववेद मन्दिर के पीछे)



थाना-चौबेपुर में लगभग 5 बीघा में की अवैध प्लांटिंग बिना ले-आउट पास कराये अवैध प्लांटिंग विकशित की जा रही थी, 30 प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा-27 के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी थी, उक्त अवैध प्लांटिंग को आज 18.03.2025 को

प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से प्लांटिंग ध्वस्त किया गया। मौके पर जोनल अधिकारी श्री प्रकाश, अवर अभियंता विनोद कुमार प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

परफेक्ट मिशन-दि० 19.03.2025

वीडीए जोन 2 की प्रवर्तन टीम ने सारनाथ में अवैध प्लांटिंग को किया ध्वस्त

परफेक्ट मिशन

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-2 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध प्लांटिंग के विरुद्ध मंगलवार को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी।

जिसमें वार्ड-सारनाथ के अन्तर्गत बब्लू कुमार, शाश्वत कुमार द्वारा मौजा-मुडली (सर्ववेद मन्दिर के पीछे) थाना-चौबेपुर में लगभग 5 बीघा में की अवैध प्लांटिंग बिना ले-आउट पास कराये अवैध प्लांटिंग विकशित की जा रही थी, 30 प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत



धारा-27 के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी थी, उक्त अवैध प्लांटिंग को मंगलवार को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया। इस दौरान मौके पर जोनल अधिकारी श्री प्रकाश, अवर अभियंता विनोद कुमार प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित

रहे। वीडीए उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।



: cvdavns | Varanasi Development Authority, Janhit Service : janhit.upda.in, E-Tender : etender.up.nic.in

Online Building Plan Approval System : www.upobpas.in, Awast Bandhu, Govt of UP: www.awas.up.nic.in